भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–185/2017–18

<table>
<tr><th>आदेश की तिथि</th><th>आदेश</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ</th></tr>
<tr><td>01.12.2018</td><td>अभिलेख उपस्थापित। क्रेता एवं बिक्रेता उपस्थित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक–1042, दिनांक–03.10.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक 06.10.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक/आवेदिका श्री काडू बोदरा, पिता/पति– स्व0 सेलाय बोदरा, जाति– हो (अ०ज०जा०), ग्राम– टिकरचाम्पी, पो0+थाना– चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा– टिकरचाम्पी, थाना नं0– 75, खाता नं०– 40, प्लॉट नं0– 225, रकवाः– 0.05 ए0, क्रेता जयवन्ति देवगम, पिता/पति– स्व0 मांगु देवगम, जाति– हो (अ०ज०जा०), ग्राम– जेनाबेड़ा, थाना– चक्रधरपुर, जिला– प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। क्रेता एवं बिक्रेता दोनो उक्त भेमि विक्रय एवं क्रय हेतु सहमत हैं। आम इश्तेहार किया गया।

जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक/आवेदिका श्री काडू बोदरा, पिता/पति– स्व0 सेलाय बोदरा, जाति– हो (अ०ज०जा०), ग्राम– टिकरचाम्पी, पो0+थाना– चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।

बिक्रेता एवं क्रेता का थाना– चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति– हो (अ०ज०जा०), समुदाय के सदस्य हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात विक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा– 1.58 ए0 एवं बिक्रेता द्वारा शपथ पत्र सं0–272, दिनांक–01.12.2018, समर्पित किया गया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि सरायकेला जिला अंतर्गत 1.00 ए0 भूमि से अधिक भूमि उनके हिस्से का है। कुल 2.58 ए0 से अधिक भूमि अवशेष के रूप में बचता है । अंचल अधिकारी चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता जायवन्ति देवगम, पिता/पति– स्व0 मांगु देवगम, जाति– हो (अ०ज०जा०), ग्राम– जेनाबेड़ा, थाना– चक्रधरपुर, जिला– प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।

आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।

लेखापित
Sd/- 1.12.18
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

Sd/- 1.12.18
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</td><td></td></tr>
</table>